an>

Title: Regarding imposition of service tax @12.36% on NRI remittance.

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर) : महोदया, मैं एक बहुत गम्भीर मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। पंजाब और दूसरे राज्यों के लाखों लोग विदेशों में बसे हुए हैं और वहाँ मजदूरी करके वे अपने परिवारों को पैसे भेजते हैं। थोड़ा अरसा पहले माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में गए और वहाँ उन्होंने विदेशों में रहने वालों को कहा कि आप भारतवर्ष में इन्वेस्टमेंट करो और आपके लिए पॉलिसीज भी हम चेंज करेंगे। उनके आते ही 14 अक्टूबर को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने, जो विदेशों से लोग यहाँ अपने परिवारों को पैसे भेजते हैं, जो पैसे की रिमिटेन्स करते हैं, उस पर 12.36 परसेंट सर्विस टैक्स लगा दिया। यह उस सर्कुलर के उलट है, जिसमें यू.पी.ए. गवर्नमेंट ने जुलाई 2012 में यह क्लेरिफाई किया था कि किसी भी बाहर से आने वाले पैसे पर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा।

मैं समझता हूँ कि जो विदेशों में रहने वाले लोग हैं और उनके जो परिवार हैं, उनके साथ यह बहुत भारी अन्याय है, क्योंकि जब वे पैसे भेजते हैं तो वे वहाँ भी टैक्स देते हैं और जब वह पैसा यहाँ आता है तो उस पर भी उन्हें टैक्स देना पड़ता है। इसका यह इफेक्ट होगा कि एक तो उनको नुकसान होगा और दूसरा इससे देश में ब्लैक मनी और हवाला को प्रोत्साहन मिलेगा। एक तरफ तो भारत सरकार यह कह रही है कि ब्लैक मनी लाना है और हवाला खत्म करना है, लेकिन दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि यह सर्कुलर जारी करके एक बहुत भारी अन्याय किया गया है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि फौरी तौर पर इस सर्कुलर को वापस लिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत अपने आपको श्री संतोख सिंह चौधरी जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

13.00 hrs